संख्या- 1/2019/ 27/एक-4-2019-रा0-4

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0लखनऊ।
2-जिलाधिकारी, बरेली/ शाहजहॉपुर/ देवरिया/ इटावा/ सहारनपुर/ अलीगढ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी,2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजना के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजना के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि में से संलग्नक के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप कुल 06 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन धनराशि रूपये 6,17,381.00 की दर से कुल रूपये 37,04,286.00 (रूपयें सैतीस लाख चार हजार दो सौ छियासी मात्र) स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1-प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन क प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
2-उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृति धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3-भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुये गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अत: उक्त वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों के आधार पर किया जायेगा।
4-स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वाहनों का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रय करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093- जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद से किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-26/दस-2019 दिनांक 09 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव

संख्या- 27(1)/एक-4-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय- नियन्त्रक) अनुभाग-5
5- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संलग्नक</u>

<u>संख्या–1/2019/27/एक–4-2019 दिनांक 11 जनवरी, 2019</u>

क्र	जनपद	निष्प्रयोज्य वाहन का विवरण	अनुमन्य वाहन	स्वीकृत धनराशि
1	बरेली	यू0पी0-25एजी.0300, (अम्बेसडकर)	बोलेरो	6,17,381.00
2	शाहजहाँपुर	यू0पी0-27 जी.0182, (अम्बेसडकर)	बोलेरो	6,17,381.00
3	देवरिया	यू0पी0-52ए0जी0.0077, (अम्बेसडकर)	बोलेरो	6,17,381.00
4	इटावा	यू0पी0-75जी.1111, (अम्बेसडकर)	बोलेरो	6,17,381.00
5	सहारनपुर	यू0पी0-11एजी.0160, (अम्बेसडकर)	बोलेरो	6,17,381.00
6	अलीगढ़	यू0पी0-81 एजी.0351, (अम्बेसडकर)	बोलेरो	6,17,381.00
		योग	06	37,04,286/

(रूपयें सैतीस लाख चार हजार दो सौ छियासी मात्र)

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।